रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336] नई दिल्ली, सोमवार, जून 14, 2010/ज्येष्ठ 24, 1932
No. 336] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 14, 2010/JYAISTHA 24, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2010

सा.का.नि. 501(अ).—केन्द्रीय सरकार विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. मूल नियम के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए प्रस्ताव-धारा 3 की उप-धारा (2) से (4) के अधीन प्रत्येक प्रस्ताव प्ररूप 'क' में किया जाएगा और उपाबंध-III में यथाविनिर्दिष्ट संबंधित विकास आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उसे पंद्रह दिन की अवधि के भीतर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट, राज्य सरकार की संस्तुति तथा नियम 7 के अधीन विनिर्दिष्ट अन्य विवरणों के साथ बोर्ड को अग्रेषित करेंगे ।"

3. मूल नियम के नियम 3 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3क सह-विकासकर्ता के रूप में अनुमोदन के लिए प्रस्ताव–विशेष आर्थिक जोन में अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए धारा 3 की उप-धारा (11) के अधीन प्रस्ताव, उपाबंध-III में यथाविनिर्दिष्ट संबंधित विकास आयुक्त को प्ररूप क1 में प्रस्तुत किए जाएंगे, जो पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, अपनी संस्तुतियों के साथ उसे बोर्ड को अग्रेषित करेंगे ।"

4. मूल नियम के नियम 5 में,—

(i) उप-नियम (5) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) विशेष आर्थिक जोन के भीतर विद्युत के संवर्धन, पारेषण तथा वितरण की अनुमति"

(ii) उप-नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(7) विकासकर्ता अथवा सह विकासकर्ता को इस नियम में विनिर्दिष्ट न्यूनतम बिल्ट अप क्षेत्र का निर्माण विशेष आर्थिक जोन को अधिसूचित किए जाने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के भीतर करना होगा, जिसमें ऐसे क्षेत्र के कम से कम पचास प्रतिशत का निर्माण ऐसी अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना होगा ।"

5. मूल नियम के नियम 6 के उप-नियम (2) में, -

(i) खण्ड (क) तथा उसके परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड और परन्तुकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

(क) खण्ड (क) के उप-नियम (1) के अधीन किसी विकासकर्ता को प्रदत्त अनुमोदन पत्र तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगा जिस अवधि के भीतर कम से कम एक इकाई द्वारा उत्पादन शुरू कर दिया जाना चाहिए और वह विशेष आर्थिक जोन ऐसे उत्पादन के शुरू होने की तारीख से प्रचालनरत हो जाना चाहिएः

किन्तु बोर्ड, यथास्थिति विकासकर्ता अथवा सह विकासकर्ता, द्वारा लिखित में आवेदन प्राप्त होने पर वैधता अवधि को बढ़ा सकता है;

परंतु यह भी कि यथास्थिति विकासकर्ता अथवा सह विकासकर्ता, उपाबंध-3 में यथाविनिर्दिष्ट संबंधित विकास आयुक्त को प्ररूप ग1 में अपने आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जो पंद्रह दिन की अवधि के भीतर उसे अपनी संस्तुतियों के साथ बोर्ड को अग्रेषित करेंगे" ;

(ii) खण्ड (क) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"(कक) किसी स्थान पर विशेष आर्थिक जोन के प्रचालनरत हो जाने पर खण्ड (क) के अधीन प्रदान किया गया अनुमोदन पत्र ऐसे विशेष आर्थिक जोन को अधिसूचित किए जाने संबंधी अधिसूचना के वैध रहने तक विधिमान्य होगा,";

(iii) खण्ड (ख) में निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थातः-

किन्तु यह कि बोर्ड, विकासकर्ता द्वारा लिखित में आवेदन प्राप्त होने पर वैधता अवधि को बढ़ा सकता है;

परंतु यह भी कि विकासकर्ता उपाबंध-3 में यथाविनिर्दिष्ट संबंधित विकास आयुक्त को प्ररूप ग1 में अपने आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जो पंद्रह दिन की अवधि के भीतर उसे अपनी संस्तुतियों के साथ बोर्ड को अग्रेषित करेंगे" ;

6. मूल नियम के नियम 6 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"6क. अनुमोदन पत्र की समीक्षा करने के लिए केन्द्र सरकार की शक्तियां - बोर्ड की सिफारिश पर निम्नलिखित परिस्थितियों में केन्द्र सरकार नियम 6 के उप-नियम (1) के अधीन प्रदत्त अनुमोदन पत्र की समीक्षा कर सकती है, अर्थातः-

(i) जब विकासकर्ता वस्तु क्षेत्र में परिवर्तन के लिए उपाबंध-3 में यथाविनिर्दिष्ट प्रपत्र ग3 में अपने आवेदन संबंधित विकास आयुक्त को प्रस्तुत करते हैं, जो पंद्रह दिन की अवधि के भीतर अपनी संस्तुतियों के साथ उन्हें बोर्ड को अग्रेषित करेंगे;

(ii) जब विकासकर्ता क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए उपाबंध-3 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप ग4 में अपने आवेदन संबंधित विकास आयुक्त को प्रस्तुत करते हैं, जो पंद्रह दिन की अवधि के भीतर अपनी संस्तुतियों के साथ उन्हें बोर्ड को अग्रेषित करेंगे;

(iii) जब विकासकर्ता क्षेत्रफल घटाने के लिए उपाबंध-3 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप ग5 में अपने आवेदन संबंधित विकास आयुक्त को प्रस्तुत करते हैं, जो पंद्रह दिन की अवधि के भीतर अपनी संस्तुतियों के साथ उन्हें बोर्ड को अग्रेषित करेंगे ।"

7. मूल नियम के नियम 8 में निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"किन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार, यदि यह समाधान हो जाता है तो विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में बोर्ड की संस्तुतियों पर इस नियम के अंतर्गत जारी विशेष आर्थिक जोन की अधिसूचना को संशोधित कर सकती है, उसे वापस ले सकती है अथवा उसे रद्द कर सकती है:

परंतु यह भी कि विकासकर्ता उपाबंध-3 में यथाविनिर्दिष्ट संबंधित विकास आयुक्त को प्ररूप ग7 में अपने आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जो पंद्रह दिन की अवधि के भीतर उसे अपनी संस्तुतियों के साथ बोर्ड को अग्रेषित करेंगे ।"

8. मूल नियम के नियम 9 में, इन शब्दों "बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे " शब्दों के स्थान पर, "विकास आयुक्त को प्रपत्र ग7 में प्रस्तुत करेंगे, जो पंद्रह दिन की अवधि के भीतर अपनी संस्तुतियों के साथ उसे बोर्ड को अग्रेषित करेंगे " शब्द रखे जाएंगे ।

9. मूल नियम के नियम 11 में,

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थातः-

" (1) विकास आयुक्त नियम 8 के अधीन जारी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट विशेष आर्थिक जोन के क्षेत्र की सर्वेक्षण संख्याओं और क्षेत्र की सीमाओं को स्पष्ट करते हुए धारा 6 के अधीन क्षेत्र को सीमांकित करेंगे और सीमांकन आदेश जारी करेंगे ";

(ii) उप-नियम (2) में, निम्नलिखित परन्तुकों को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"किन्तु यह कि सूचना प्रौद्योगिकी अथवा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं अथवा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर अथवा जैव प्रौद्योगिकी हेतु विशेष आर्थिक जोन के मामले में विकास आयुक्त ऐसे उपायों को अनुमोदित करेंगे और तदनुसार बोर्ड को सूचित करेंगे:-

परन्तु यह भी कि यदि विकासकर्ता दो सौ चालीस सेंटीमीटर ऊँची दीवार का निर्माण करने का प्रस्ताव करता है जिसमें से ऊपर के साठ सेंटीमीटर में कांटेदार तार की बाड़ हो तथा केवल एक ही प्रवेश एवं निर्गम द्वार हो, तो इस उप-नियम के तहत अलग से अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा ।"

10. मूल नियम के नियम 12 के उप-नियम (1) में इन शब्दों " माल का प्रापण कर सकता है" शब्दों के स्थान पर, "माल एवं सेवाओं का प्रापण कर सकता है " शब्द रखे जाएंगे ।

11. मूल नियम के नियम 77 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"78. ई-फाइलिंग - प्रणाली के शुरू होने से एक माह की अवधि के भीतर प्रत्येक विकासकर्ता एवं इकाई विशेष आर्थिक जोन ऑनलाइन प्रणाली से आवेदनों और विवरणियों को इलैक्ट्रॉनिक पद्धति से प्रस्तुत करेंगे ।"

12. मूल नियम के प्ररूप क के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"प्ररूप - क 1

सह विकासकर्ता के अनुमोदन पत्र के लिए आवेदन प्ररूप

[देखें नियम 3क]

1.	विकासकर्ता का नाम और पता	:	
2.	अनुमोदन पत्र की संख्या और तारीख	:	
3.	विशेष आर्थिक जोन का प्रकारः बहु उत्पाद/क्षेत्र विशिष्ट	:	
4.	यदि क्षेत्र विशिष्ट है तो उस क्षेत्र का नाम जिसके लिए अनुमोदन दिया गया है	:	
5.	विशेष आर्थिक जोन की अधिसूचना की तारीख	:	
6.	विशेष आर्थिक जोन का कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	:	
7.	प्रस्तावित सह विकासकर्ता का नाम और पता	:	
8.	उन अवसंरचना सुविधाओं/प्राधिकृत प्रचालनों का ब्यौरा जो सह-विकासकर्ता द्वारा किए जाएंगे (उल्लेख करें)	:	
9.	कुल क्षेत्र जिस पर सह-विकासकर्ता द्वारा कार्यकलाप किए जाएंगे	:	
10.	सह-विकासकर्ता द्वारा निवेश की प्रस्तावित राशि (करोड़ रूपए में)	:	
11.	विशेष आर्थिक जोन में व्यापार/मनोरंजन/आवासीय सुविधाओं के सृजन हेतु प्रस्तावित निकाय में विकासकर्ता की इक्विटी का स्तर	:	
12.	सह-विकासकर्ता का कुल मूल्य (करोड़ रूपए में)	:	
13.	(क) क्या विकासकर्ता और सह विकासकर्ता के	:	हॉ/नहीं

IndiaCode

बीच कोई करार किया गया है

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस क़रार की एक प्रति : हाँ/नहीं
इस आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न की गई है

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है । मैं/हम ऐसी किसी भी शर्त से आबद्ध हूँ/हैं जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकेगी । मैं/हम पूर्णतया सहमत हूँ/हैं कि किसी भी विवरण या तथ्य के गलत या असत्य पाए जाने की स्थिति में प्रस्तुत विवरण के आधार पर मुझे/हमें प्राप्त कोई भी अनुमोदन पत्र रद्द किया जा सकता है या कोई अन्य कार्रवाई की जा सकती है ।

स्थान **आवेदक के हस्ताक्षर**

तारीखः **नाम साफ अक्षरों में**

पदनाम

प्राधिकारिक मुहर/स्टाम्प

दूरभाष संख्या

ई-मेल

वेबसाइट, यदि कोई हो

पूरा आवासीय पता

IndiaCode

विकास आयुक्त की सिफारिश

इस प्रस्ताव की जांच कर ली गई है और मेरी सिफारिश निम्नानुसार हैः

विकास आयुक्त के हस्ताक्षर"

13. मूल नियमावली के प्ररूप - ग के बाद निम्नलिखित प्ररूप अंतरस्थापित किए जाएँगे, अर्थातः-

" प्ररूप -ग 1

नियम 6(2) (क) के अधीन प्रदत्त अनुमोदन की वैधता अवधि में विस्तार के लिए आवेदन
[संदर्भ नियम 6 (2) (क)]

1 विकासकर्ता का नाम एवं पता :

2 अनुमोदन पत्र की सं0 एवं तारीख :

3 विशेष आर्थिक जोन का प्रकारः बहु-उत्पाद/क्षेत्र विशिष्ट :

4 यदि क्षेत्र विशिष्ट है, तो उस क्षेत्र का नाम जिसके लिए अनुमोदन दिया गया है :

5 औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की तारीख :

6 विशेष आर्थिक जोन हेतु औपचारिक अनुमोदन के समाप्त होने की तारीख :

7 क्या विस्तार हेतु आवेदन वर्तमान औपचारिक अनुमोदन के समाप्त होने की तारीख से पूर्व किया गया है ?

यदि हॉ, तो विस्तार हेतु आवेदन की तारीख :

8 किस तारीख तक के लिए विस्तार अपेक्षित है :

9 क्या विशेष आर्थिक जोन को अधिसूचित किया गया है ? यदि हॉ, तो अधिसूचना की तारीख:

10 यदि अधिसूचित किया गया है, तो क्या विकास आयुक्त द्वारा प्रसंस्करण एवं गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र के सीमांकन संबंधी आदेश जारी किया गया है :

11 कृपया 3 वर्ष की निर्धारित समय-सीमा के भीतर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा दें । विशेष आर्थिक जोन के कार्यान्वयन हेतु स्थल, चारदीवारी, प्रशासनिक ब्लॉक तैयार करने, विद्युतीकरण, सड़क, जल पाइपलाइन बिछाने, अन्य प्राधिकृत कार्यकलाप आदि जैसे स्वतः किए जाने वाले प्रचालनों का ब्यौरा दें । कृपया विस्तृत ब्यौरा दें :

12 परियोजना को पूरा करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा :

13 विस्तार हेतु अनुरोध करने के कारण :

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है । मैं/हम ऐसी किसी भी शर्त से आबद्ध हूँ/हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकेगी । मैं/हम पूर्णतया सहमत हूँ/हैं कि किसी भी विवरण या तथ्य के गलत या असत्य पाए जाने की स्थिति में प्रस्तुत विवरण के आधार पर मुझे/हमें प्राप्त कोई भी अनुमोदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा या कोई अन्य कार्रवाई की जाएगी ।

स्थानः
तारीखः

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम साफ अक्षरों में
पदनाम
प्राधिकारिक मुहर/स्टॉप
दूरभाष सं0
ई-मेल
वैब-साइट, यदि कोई हो
पूरा आवासीय पता

विकास आयुक्त की सिफारिश

इस प्रस्ताव की जॉच कर ली गई है और मेरी सिफारिश निम्नानुसार है :-

विकास आयुक्त के हस्ताक्षर

IndiaCode

प्ररूप -ग 2

नियम 6(2) (ख) के अधीन प्रदत्त अनुमोदन की वैधता अवधि में विस्तार के लिए आवेदन
[संदर्भ नियम 6 (2) (ख)]

1. विकासकर्ता का नाम एवं पता :
2. अनुमोदन पत्र की सं0 एवं तारीख :
3. विशेष आर्थिक जोन का प्रकारः बहु-उत्पाद/क्षेत्र विशिष्ट :
4. यदि क्षेत्र विशिष्ट है, तो उस क्षेत्र का नाम जिसके लिए अनुमोदन दिया गया है :
5. विशेष आर्थिक जोन हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन समाप्त होने की तारीख :

6. क्या विस्तार हेतु आवेदन वर्तमान सैद्धांतिक अनुमोदन के समाप्त होने की तारीख से पूर्व किया गया है ?

यदि हाँ, तो विस्तार हेतु आवेदन की तारीख :

7. किस तारीख तक विस्तार का अनुरोध किया गया है :

8. अनुरोध प्रथम विस्तार के लिए है अथवा द्वितीय विस्तार हेतु :

9. इस विशेष आर्थिक जोन हेतु भूमि का प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) कितना है :

10. अब तक कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है :

11. शेष भूमि के अधिग्रहण हेतु अपेक्षित अनुमानित समय :

12. विस्तार हेतु अनुरोध करने के कारण :

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है । मैं/हम ऐसी किसी भी शर्त से आबद्ध हूँ/हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकेगी । मैं/हम पूर्णतया सहमत हूँ/हैं कि किसी भी विवरण या तथ्य के गलत या असत्य पाए जाने की स्थिति में प्रस्तुत विवरण के आधार पर मुझे/हमें प्राप्त कोई भी अनुमोदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा या कोई अन्य कार्रवाई की जाएगी ।

स्थानः
तारीखः

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम साफ अक्षरों में
पदनाम
प्राधिकारिक मुहर/स्टॉप
दूरभाष सं0
ई-मेल
वैब-साइट, यदि कोई हो
पूरा आवासीय पता

विकास आयुक्त की सिफारिश

इस प्रस्ताव की जाँच कर ली गई है और मेरी सिफारिश निम्नानुसार है :-

विकास आयुक्त के हस्ताक्षर

प्ररूप -ग 3

क्षेत्र में परिवर्तन की माँग करने के लिए आवेदन
[संदर्भ नियम 6क (i)]

1. विकासकर्ता का नाम एवं पता :
2. अनुमोदन पत्र की सं0 एवं तारीख :
3. विशेष आर्थिक जोन का प्रकारः बहु-उत्पाद/क्षेत्र विशिष्ट :
4. उस क्षेत्र का नाम जिसमें परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है :
5. औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की तारीख :
6. विशेष आर्थिक जोन हेतु औपचारिक अनुमोदन के समाप्त होने की तारीख :
7. क्या विशेष आर्थिक जोन को अधिसूचित किया गया है ? यदि हाँ, तो अधिसूचना की तारीख:
8. विस्तार के लिए अनुरोध करने के कारण :

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है । मैं/हम ऐसी किसी भी शर्त से आबद्ध हूँ/हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकेगी । मैं/हम पूर्णतया सहमत हूँ/हैं कि किसी भी विवरण या तथ्य के गलत या असत्य पाए जाने की स्थिति में प्रस्तुत विवरण के आधार पर मुझे/हमें प्राप्त कोई भी अनुमोदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा या कोई अन्य कार्रवाई की जाएगी ।

स्थानः
तारीखः

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम साफ अक्षरों मे
पदनाम
प्राधिकारिक मुहर/स्टॉप
दूरभाष सं0
ई-मेल
वैब-साइट, यदि कोई हो
पूरा आवासीय पता

विकास आयुक्त की सिफारिश

इस प्रस्ताव की जाँच कर ली गई है और मेरी सिफारिश निम्नानुसार है :-

विकास आयुक्त के हस्ताक्षर

प्ररूप - ग 4

क्षेत्र में वृद्धि के लिए आवेदन
[नियम 6क (ii) देखें]

1. विकासकर्ता का नाम एवं पता :
2. अनुमोदन पत्र की सं. तथा तारीख :
3. उस वस्तु-क्षेत्र का नाम जिसके लिए अनुमोदन दिया गया है :
4. विशेष आर्थिक जोन का मौजूदा क्षेत्र (हेक्टेयर में) :
5. प्रार्थिक अतिरिक्त क्षेत्र (हेक्टेयर में) :
6. क्या अतिरिक्त क्षेत्र खाली, सटा हुआ और कब्जे में है तथा क्या नियम 7 की सभी शर्तों को पूरा करता है :
7. संवर्धन के पश्चात कुल क्षेत्र :
8. क्या शामिल किया जाने वाला अतिरिक्त क्षेत्र पहले से अधिसूचित क्षेत्र से सटा हुआ है :
9. औपचारिक अनुमोदन मिलने की तारीख :
10. विशेष आर्थिक जोन के औपचारिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तारीख :
11. क्या विशेष आर्थिक जोन को अधिसूचित किया गया है ?

 यदि हाँ, तो अधिसूचित किए जाने की तारीख
12. क्षेत्र में वृद्धि करने के कारण

13 मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है । मैं/हम ऐसी किसी भी शर्त से आबद्ध हूँ/हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकेगी । मैं/हम पूर्णतया सहमत हूँ/है कि किसी भी विवरण या तथ्य के गलत या असत्य पाए जाने की स्थिति में प्रस्तुत विवरण के आधार पर मुझे/हमें प्राप्त कोई भी अनुमोदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा या कोई अन्य कार्रवाई की जाएगी ।

स्थानः
तारीखः

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम साफ अक्षरों में
पदनाम
प्राधिकारिक मुहर/स्टॉप
दूरभाष सं0
ई-मेल
वैब-साइट, यदि कोई हो
पूरा आवासीय पता

विकास आयुक्त की सिफारिश

इस प्रस्ताव की जॉच कर ली गई है और मेरी सिफारिश निम्नानुसार है :-

विकास आयुक्त के हस्ताक्षर

प्ररूप - ग 5

क्षेत्र में कटौती हेतु आवेदन
[नियम 6क (iii) देखें]

1. विकासकर्ता का नाम एवं पता :
2. अनुमोदन पत्र की सं. तथा तारीख :
3. उस वस्तु-क्षेत्र का नाम जिसके लिए अनुमोदन दिया गया है :
4. विशेष आर्थिक जोन का मौजूदा क्षेत्र (हेक्टेयर में) :
5. क्षेत्र में प्रार्थित कटौती (हेक्टेयर में) :
6. कटौती के बाद कुल क्षेत्र :
7. क्या क्षेत्र में कटौती के बाद शेष क्षेत्र परस्पर सटा हुआ रहेगा :
8. औपचारिक अनुमोदन मिलने की तारीख :
9. विशेष आर्थिक जोन के औपचारिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तारीख :
10. क्या विशेष आर्थिक जोन को अधिसूचित किया गया है ?
 यदि हॉ, तो अधिसूचित किए जाने की तारीख :
11. कम किए जाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र पर प्राप्त किए गए कुल शुल्क लाभ और कर छूट (करोड़ रूपए में) :
12. क्षेत्र में कटौती के कारण :

IndiaCode

13. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है । मैं/हम ऐसी किसी भी शर्त से आबद्ध हूँ/हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकेगी । मैं/हम पूर्णतया सहमत हूँ/हैं कि किसी भी विवरण या तथ्य के गलत या असत्य पाए जाने की स्थिति में प्रस्तुत विवरण के आधार पर मुझे/हमें प्राप्त कोई भी अनुमोदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा या कोई अन्य कार्रवाई की जाएगी ।

स्थानः
तारीखः

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम साफ अक्षरों में
पदनाम
प्राधिकारिक मुहर/स्टॉप
दूरभाष सं0
ई-मेल
वैब-साइट, यदि कोई हो
पूरा आवासीय पता

UnifiCode

विकास आयुक्त की सिफारिश

इस प्रस्ताव की जॉच कर ली गई है और मेरी सिफारिश निम्नानुसार है :-

विकास आयुक्त के हस्ताक्षर

प्ररूप - ग 6

अधिसूचना रद्द करने के लिए आवेदन
[नियम 8 देखें]

1. विकासकर्ता का नाम एवं पता :
2. अनुमोदन पत्र की सं. तथा तारीख :
3. उस वस्तु-क्षेत्र का नाम जिसके लिए अनुमोदन दिया गया है :

4. विशेष आर्थिक जोन का मौजूदा क्षेत्र (हेक्टेयर में) :

5. औपचारिक अनुमोदन मिलने की तारीख :

6. अधिसूचना की तारीख :

7. एसईजेड की अधिसूचना वापस लेने का अनुरोध करने के कारण :

8. कम किए जाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र पर प्राप्त किए गए कुल

शुल्क लाभ और कर छूट (करोड़ रूपए में) :

9. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है । मैं/हम ऐसी किसी भी शर्त से आबद्ध हूँ/हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकेगी । मैं/हम पूर्णतया सहमत हूँ/हैं कि किसी भी विवरण या तथ्य के गलत या असत्य पाए जाने की स्थिति में प्रस्तुत विवरण के आधार पर मुझे/हमें प्राप्त कोई भी अनुमोदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा या कोई अन्य कार्रवाई की जाएगी ।

स्थानः
तारीखः

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम साफ अक्षरों में
पदनाम
प्राधिकारिक मुहर/स्टॉप
दूरभाष सं0
ई-मेल
वैब-साइट, यदि कोई हो
पूरा आवासीय पता

विकास आयुक्त की सिफारिश

इस प्रस्ताव की जॉच कर ली गई है और मेरी सिफारिश निम्नानुसार है :-

(क) जोन में कोई इकाई मौजूद नहीं है/जोन में इकाइयों को अनाबद्ध कर दिया गया है ।

(ख) विकासकर्ता द्वारा कोई शुल्क छूट प्राप्त नहीं की गई है/प्राप्त कर/शुल्क छूट के बराबर की राशि सरकारी खाते में जमा कर दी गई है ।

विकास आयुक्त के हस्ताक्षर

IndiaCode

"प्ररूप - ग 7

प्राधिकृत प्रचालनों के अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र

[नियम 9 देखें]

1.	विकासकर्ता का नाम और पता	:
2.	अनुमोदन पत्र की संख्या और तारीख	:
3.	विशेष आर्थिक जोन का प्रकार: बहु उत्पाद/क्षेत्र विशिष्ट	:
4.	यदि क्षेत्र विशिष्ट है तो, उस क्षेत्र का नाम जिसके लिए अनुमोदन दिया गया है	:
5.	विशेष आर्थिक जोन की अधिसूचना की तारीख	:
6.	विशेष आर्थिक जोन का कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	:
7.	विशेष आर्थिक जोन का कुल प्रसंस्करण क्षेत्र (हेक्टेयर में)	:
8.	विशेष आर्थिक जोन का कुल गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र (हेक्टेयर में)	:
9.	विशेष आर्थिक जोन में प्रस्तावित कुल निवेश (करोड़ रूपये में)	:
10.	अब तक किया गया निवेश (करोड़ रूपये में)	:

IndiaCode

11. विशेष आर्थिक जोन में नियोजन हेतु प्रस्तावित लोगों की कुल संख्या :

12. प्रसंस्करण क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यकलापों का ब्यौरा, जिसके लिए अनुमोदन मांगा गया है :

क्र.सं	प्राधिकृत कार्यकलाप का नाम	यूनिटों की संख्या	यथा प्रयोज्य एफ एस आई/एफ ए आर मानदण्डों के अनुसार प्रति इकाई क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	कुल क्षेत्र (वर्ग मी. में/क्षमता (मेगावाट में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

टिप्पणी: जहां सूचना अपेक्षित नहीं है, कृपया "लागू नहीं" लिखें ।

13. क्रम सं0 12 के अंतर्गत मांगे गए अनुमोदन हेतु औचित्य

14. गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यकलाप का ब्यौरा, जिसके लिए अनुमोदन मांगा गया है ।

क्र.सं.	प्राधिकृत कार्यकलाप का नाम	यूनिटों की संख्या	यथा प्रयोज्य एफ एस आई/एफ ए आर मानदण्डों के अनुसार प्रति इकाई क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	कुल क्षेत्र (वर्ग मी. में/क्षमता (मेगावाट में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

IndiaCode

15. क्र.सं. 14 के अंतर्गत मांगे गए अनुमोदन हेतु औचित्य

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है । मैं/हम ऐसी किसी भी शर्त से आबद्ध हूँ/है जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकेगी । मैं/हम पूर्णतया सहमत हूँ/है कि किसी भी विवरण या तथ्य के गलत या असत्य पाए जाने की स्थिति में प्रस्तुत विवरण के आधार पर मुझे/हमें प्राप्त कोई भी अनुमोदन पत्र रद्द किया जा सकता है या कोई अन्य कार्रवाई की जा सकती है ।

स्थान **आवेदक के हस्ताक्षर**

तारीखः **नाम साफ अक्षरों में**

पदनाम

प्राधिकारिक मुहर/ स्टाम्प

दूरभाष संख्या

ई-मेल

वेब साइट, यदि कोई हो

पूरा आवासीय पता

<u>विकास आयुक्त की सिफारिश</u>

इस प्रस्ताव की जांच कर ली गई है और मेरी सिफारिश निम्नानुसार हैः

विकास आयुक्त के हस्ताक्षर"

14. मुख्य नियम के उपाबंध 2 के बाद निम्नलिखित उपाबंध अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

" उपाबंध III

(कृपया नियम 3, 3 क, 6 (2)(क), 6(2)(ख), 6 क, 8, 9 देखें)

विकास आयुक्त और उनकी अधिकारिता के अधीन आने वाले राज्य

क्र.सं.	विकास आयुक्त	राज्य
(1)	(2)	(3)
1	विकास आयुक्त, काण्डला विशेष आर्थिक जोन	गुजरात
2.	विकास आयुक्त, एम ई पी जेड विशेष आर्थिक जोन	तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, माह तथा यानम को छोड़कर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र
3.	विकास आयुक्त, सीप्ज विशेष आर्थिक जोन	महाराष्ट्र, गोवा, दम एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली
4.	विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक जोन	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर
5.	विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन	केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप तथा माहे
6.	विकास आयुक्त, फाल्टा विशेष आर्थिक जोन	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम तथा अरूणाचल प्रदेश
7.	विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन	आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा यानम

[फा. सं. सी 2/3/2008-एस ई जेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

टिप्पणीः- मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण में तारीख 10 फरवरी 2006 की अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 54 (अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और पश्चातवर्ती संशोधन नीचे उल्लिखित अधिसूचनाओं द्वारा किए गए थेः-

क्र.सं.	सा.का.नि.	तारीख
1.	470 (अ)	10 अगस्त, 2006
2.	393 (अ)	16 मार्च, 2007
3.	1744 (अ)	12 अक्तूबर, 2007
4.	2661 (अ)	14 नवम्बर, 2008
5.	72 (अ)	3 फरवरी, 2009
6.	1293 (अ)	20 मई, 2009
7.	562 (अ)	3 अगस्त, 2009

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2010

G.S.R. 501(E).—In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the principal rules, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. Proposal for setting up of Special Economic Zone. - Every proposal under sub-sections (2) to (4) of section 3 shall be made in Form 'A' and be submitted to the concerned Development Commissioner as specified in Annexure-III, who, within a period of fifteen days, shall forward it to the Board with his inspection report, State Government's recommendation and other details specified under rule 7.".

3. After rule 3 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely : -

"3A. Proposal for approval as Co-developer. - The proposal under sub-section (11) of section 3 for providing infrastructural facilities in the Special Economic Zone shall be made in Form A1 to the concerned Development Commissioner, as specified in Annexure III, who, within a period of fifteen days, shall forward it to the Board with his recommendations .".

4. In rule 5 of the principal rules, -

(i) in sub-rule (5), for clause(c), the following clause shall be substituted, namely :-

"(c) allow generation, transmission and distribution of power within a Special Economic Zone ;";

(ii) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(7) The Developer or Co-developer shall have to construct the minimum built up area specified in this rule within a period of ten years from the

date of notification of the Special Economic Zone in which at least fifty percent of such area to be constructed within a period of five years from the date of such notification.".

5. In rule 6 of the principal rules, in sub-rule (2), -

(i) for clause (a) and the proviso of thereof, the following clause and provisos shall be substituted, namely :-

"(a) The letter of approval of a Developer granted under clause (a) of sub-rule (1) shall be valid for a period of three years within which time at least one unit has commenced production and the Special Economic Zone become operational from the date of commencement of such production:

Provided that the Board may, on an application by the developer or the co-developer, as the case may be, for reasons to be recorded in writing extend the validity period:
Provided further that the Developer or Co-developer as the case may be, shall submit the application in Form C1 to the concerned Development Commissioner as specified in Annexure III, who, within a period of fifteen days, shall forward it to the Board with his recommendations.";

(ii) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely : -

"(aa) Where the Special Economic Zone becomes operational, the letter of approval granted under clause (a) shall be valid till the period of validity of notification of such Special Economic Zone;",

(iii) in clause (b), for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely :-

"Provided that the Board may, on an application by the developer, for reasons to be recorded in writing, extend the validity period:
Provided further that the Developer shall submit the application in Form C2 to the concerned Development Commissioner, as specified in Annexure III, who, within a period of fifteen days, shall forward it to the Board with his recommendations.".

6. After rule 6 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely :-

"6A. Power of Central Government to review letter of approval. - The Central Government may review the letter of approval granted under sub-rule (1) of rule 6 on the recommendation of the Board in the following circumstances, namely:-

(i) the Developer submits application in Form C3 for change of the sector to the concerned Development Commissioner, as specified in Annexure III, who, within a period of fifteen days shall forward it to the Board with his recommendations;

(ii) the Developer submits application in Form C4 for increase in the area to the concerned Development Commissioner, as specified in Annexure

III, who, within a period of fifteen days, shall forward it to the Board with his recommendations;

(iii) the Developer submits application in Form C5 for decrease in the area to the concerned Development Commissioner, as specified in Annexure III, who, within a period of fifteen days, shall forward it to the Board with his recommendations.".

7. In rule 8 of the principal rules, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the Central Government may, on the recommendation of the Board on the application made by the Developer, if it is satisfied, modify, withdraw or rescind the notification of a Special Economic Zone issued under this rule:
Provided further that the Developer shall submit his application for withdrawal of notification in Form C6 to the concerned Development Commissioner, as specified in Annexure III, who, within a period of fifteen days, shall forward it to the Board with his recommendations.".

8. In rule 9 of the principal rules, for the words " submit to the Board", the words "submit in Form C7 to the Development Commissioner who within a period of fifteen days, shall forward it to the Board with his recommendations," shall be substituted.

9. In rule 11 of the principal rules, -

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely : -

" (1) The Development Commissioner shall demarcate the area and issue demarcation order under the provision of section 6, specifying the survey numbers and boundaries of area of the Special Economic Zone as specified in the notification issued under rule 8.";

(ii) in sub-rule (2), the following provisos shall be inserted, namely : -

"Provided that in case of a Special Economic Zone for information technology or information technology enabled services or electronic hardware or biotechnology , the Development Commissioner shall approve such measures and inform the Board accordingly:

Provided further that in case the developer proposes to create two hundred and forty centimeter high wall with top sixty centimeter being barbed wire fencing and single entry and exit point, no separate approval shall be required under this sub-rule".

10. In rule 12 of the principal rules, in sub-rule (1), for the words "procure goods", the words "procure goods and services" shall be substituted.

11. After rule 77 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"78. E-filing. – Every developer and unit shall file applications and returns electronically on the Special Economic Zone online system, within a period of one month of the system being commissioned.".

12. After Form A to the principal rules, the following Form shall be inserted, namely : -

"FORM – A1

APPLICATION FORM FOR APPROVAL OF CO-DEVELOPER
[Refer rule 3 A]

1. Name and address of the Developer :

2. Letter of Approval No. and date :

3. Type of Special Economic Zone :
Multi-Product / Sector Specific :

4. If Sector specific, name of the sector for which approval has been given :

5. Date of notification of the Special Economic Zone :

6. Total area of the Special Economic Zone (in hectare) :

7. Name and address of the proposed co-developer :

8. Details of the infrastructure facilities/authorised operations which will be undertaken by the co-developer (mention :

9. Total area on which the activities are to be performed by the co-developer :

10. Proposed amount of investment by the co-developer (in Rs. crore):

11. Level of equity held by the Developer in the entity proposed to create business/recreational/residential facilities in the Special Economic Zone :

12. Net worth of the co-developer (in Rs. crore) :

13. (a) Whether an agreement has been entered into between the developer and the co-developer : Yes / No

(b) if yes, whether a copy of this agreement has been enclosed with this application form : Yes / No

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We will abide by any other condition, which may be stipulated by the Government of India. I/We fully understand that

any Letter of Approval granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements or facts therein are incorrect or false.

Place:
Date:

Signature of the Applicant
Name in Block Letters
Designation
Official Seal/Stamp
Tel. No
E-mail
Web-Site, if any
Full Residential Address

Recommendation of Development Commissioner

The proposal has been examined and my recommendation is as follows:

Signature of Development Commissioner".

13. After Form C to the principal rules, the following Forms shall be inserted, namely: -

"FORM –C1

APPLICATION FOR EXTENSION OF VALIDITY OF APPROVAL GRANTED UNDER RULE 6(2)(a)
[Refer rule 6(2)(a)]

1. Name and address of the Developer :
2. Letter of Approval No. and date :
3. Type of Special Economic Zone : Multi-Product / Sector Specific :
4. If Sector specific, name of the sector for which approval has been given :
5. Date of grant of formal approval :
6. Expiry date of Formal approval of the Special Economic Zone :

7. Whether application for extension has been made before the expiry date of present formal approval ?
if yes, date of application of extension :

8. Date upto which extension has been sought :

9. Whether the Special Economic Zone has been notified ? If yes, date of Notification :

10. If notified, has the demarcation order into processing and non-processing area been issued by Development Commissioner :

11. Please list out the other steps which have been taken for implementation of the project within the stipulated time frame of 3 years. List the default operations carried out like preparation of the site, boundary walls, administrative block, electrification, roads, water pipelines, other authorized activities etc for implementing the Special Economic Zone. Please give descriptive details :

12. Proposed time frame for completion of the project

13. Reasons for seeking extension

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We will abide by any other condition, which may be stipulated by the Government of India. I/We fully understand that any Letter of Approval granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements or facts therein are incorrect or false.

Place:
Date:

Signature of the Applicant
Name in Block Letters
Designation
Official Seal/Stamp
Tel. No
E-mail
Web-Site, if any
Full Residential Address

Recommendation of Development Commissioner

The proposal has been examined and my recommendation is as follows:

Signature of Development Commissioner

FORM –C2

APPLICATION F FOR EXTENSION OF VALIDITY OF APPROVAL GRANTED UNDER RULE 6(2)(B)

[Refer rule 6(2)(b)]

1. Name and address of the Developer :

2. Letter of Approval No. and date :

3. Type of Special Economic Zone : Multi-Product / Sector Specific :

4. If Sector specific, name of the sector for which approval has been given :

5. Expiry date of In-principal approval of the Special Economic Zone:

6. Whether application for extension has been made before the expiry date of present in-principal approval ?
 if yes, date of application of extension :

7. Date upto which extension has been sought :

8. Whether the request is for first extension or for second extension :

9. What is total proposed area of the land (in hectares) for this Special Economic Zone :

10. How much land has been acquired so far :

11. Estimated time required for acquisition of the balance land :

12. Reasons for seeking extension

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We will abide by any other condition, which may be stipulated by the Government of India. I/We fully understand that any Letter of Approval granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements or facts therein are incorrect or false.

Place: Signature of the Applicant
Date:

Name in Block Letters
Designation
Official Seal/Stamp
Tel. No
E-mail
Web-Site, if any
Full Residential Address

Recommendation of Development Commissioner

The proposal has been examined and my recommendation is as follows:

Signature of Development Commissioner

FORM – C3

APPLICATION FOR SEEKING CHANGE IN SECTOR
[Refer rule 6A (i)]

1. Name and address of the Developer

2. Letter of Approval No. and date :

3. Name of the sector for which approval has been given :

4. Name of sector to which change sought :
5. Date of grant of formal approval :

6. Expiry date of Formal approval of the Special Economic Zone :

7. Whether the Special Economic Zone has been notified ? If yes, date of Notification:

8. Reasons for seeking change in sector

9. I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We will abide by any other condition, which may be stipulated by the Government of India. I/We fully understand that any Letter of Approval granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements or facts therein are incorrect or false.

Place:
Date:

Signature of the Applicant
Name in Block Letters
Designation
Official Seal/Stamp
Tel. No
E-mail
Web-Site, if any
Full Residential Address

Recommendation of Development Commissioner

The proposal has been examined and my recommendation is as follows:

Signature of Development Commissioner

IndiaCode

FORM – C4

APPLICATION FOR INCREASE IN AREA
[Refer rule 6A (ii)]

1. Name and address of the Developer :
2. Letter of Approval No. and date :
3. Name of the sector for which approval has been given :
4. Present Area of Special Economic Zone (in hectare) :
5. Additional area sought (in hectare) :
6. Whether the additional area is vacant, contiguous and in possession and fulfils all the conditions of rule 7 :
7. Total area after addition :
8. Whether additional area to be included contiguous to the already notified area :
9. Date of grant of formal approval :
10. Expiry date of Formal approval of the Special Economic Zone :
11. Whether the Special Economic Zone has been notified ? If yes, date of Notification:
12. Reasons for increase in area :
13. I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We will abide by any other condition, which may be stipulated by the Government of India. I/We fully understand that any Letter of Approval granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements or facts therein are incorrect or false.

Place:
Date:

Signature of the Applicant

Name in Block Letters
Designation
Official Seal/Stamp
Tel. No
E-mail
Web-Site, if any
Full Residential Address

IndiaCode

Recommendation of Development Commissioner

The proposal has been examined and my recommendation is as follows:

Signature of Development Commissioner

FORM- C5

APPLICATION FOR DECREASE IN AREA
[Refer rule 6A (iii)]

1. Name and address of the Developer :
2. Letter of Approval No. and date :
3. Name of the sector for which approval has been given :
4. Present Area of Special Economic Zone (in hectare) :
5. Decrease of area sought (in hectare) :
6. Total area after decrease :
7. Whether after decrease in area, remaining area would be contiguous :
8. Date of grant of formal approval :
9. Expiry date of Formal approval of the Special Economic Zone :
10. Whether the Special Economic Zone has been notified ? If yes, date of Notification:
11. Total Duty benefits and tax exemption availed on the area proposed to be deleted (in Rupees Crore)
12. Reasons for decrease in area
13. I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We will abide by any other condition, which may be stipulated by the Government of India. I/We fully understand that any Letter of Approval granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements or facts therein are incorrect or false.

Place:
Date:

Signature of the Applicant

Name in Block Letters
Designation
Official Seal/Stamp
Tel. No
E-mail
Web-Site, if any
Full Residential Address

IndiaCode

Recommendation of Development Commissioner

The proposal has been examined and my recommendation is as follows:

Signature of Development Commissioner

FORM – C6

APPLICATION FORM FOR DENOTIFICATION
[Refer rule 8]

1. Name and address of the Developer
2. Letter of Approval No. and date
3. Name of the sector for which approval has been given
4. Present Area of SEZ (in hectare)
5. Date of grant of formal approval
6. Date of Notification
7. Reasons for seeking withdrawal of notification of SEZ
8. Total Duty benefits and tax exemption availed on the area proposed to be deleted (in Rupees crore)
9. I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We will abide by any other condition, which may be stipulated by the Government of India. I/We fully understand that action may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements or facts therein are incorrect or false.

10. Place: Signature of the Applicant

11. Date: Name in Block Letters

Designation
Official Seal/Stamp
Tel. No
E-mail
Web-Site, if any
Full Residential Address

Recommendation of Development Commissioner

The proposal has been examined and my recommendation is as follows:

a) There is no unit in the Zone / Units in the Zone have been debonded.
b) No duty exemption has been availed by the Developer./An amount equivalent to the tax/duty exemption availed has been deposited to the Government Account.

Signature of Development Commissioner

FORM - C7

APPLICATION FOR APPROVAL OF AUTHORISED OPERATIONS
[Refer rule 9]

1. Name and address of the Developer :

2. Letter of Approval No. and date :

3. Type of Special Economic Zone :
 Multi-Product / Sector Specific :

4. If Sector specific, name of the sector for which approval has been given :

5. Date of notification of the Special Economic Zone :

6. Total area of the Special Economic Zone (in hectare) :

7. Total processing area of the Special Economic Zone (in hectare):

8. Total non-processing area of the Special Economic Zone (in hectare) :

9. Total proposed investment in the Special Economic Zone (in Rs. Crore):

10. Investment already made so far (in Rs. Crore) :

11. Total number of people proposed to be employed in the Special Economic Zone :

12. Details of the activities in the processing area for which approval have been sought :

S. No	Name of the authorized activity	No. of Units	Area per unit (in sq.mtrs) as per FSI/FAR norms as applicable	Total area (in sq.mtr) / capacity (in MW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Note : Wherever information is not required, please indicate "NA".

13. Justification for approval sought under S.No. 12.:

14. Details of the activities in the non-processing area for which approval have been sought :

S. No	Name of the authorized activity	No. of Units	Area per unit (in sq.mtrs) as per FSI norms as applicable	Total area (in sq.mtr) / capacity (in MW)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Note : Wherever information is not required, please indicate "NA".

15. Justification for approval sought under S.No. 14.

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We will abide by any other condition, which may be stipulated by the Government of India. I/We fully understand that any Letter of Approval granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements or facts therein are incorrect or false.

Place:
Date:

Signature of the Applicant
Name in Block Letters
Designation
Official Seal/Stamp
Tel. No
E-mail
Web-Site, if any
Full Residential Address

Recommendation of Development Commissioner

The proposal has been examined and my recommendation is as follows:

Signature of Development Commissioner".

14. After Annexure II to the principal rules, the following Annexure shall be inserted namely:-

"ANNEXURE III
(Refer rule 3, 3A, 6(2)(a), 6(2)(b), 6A, 8, 9)

Development Commissioners and the States under their jurisdiction

Sl.No.	Development Commissioner	States
(1)	(2)	(3)
1	Development Commissioner, Kandla Special Economic Zone	Gujarat
2	Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone	Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands, Union Territory of Pondicherry excluding Mahe and Yanam
3	Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone	Maharashtra, Goa, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli
4	Development Commissioner, Noida Special Economic Zone	Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Uttarkhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir
5	Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone	Kerala, Karnataka, Lakshadweep and Mahe
6	Development Commissioner, Falta Special Economic Zone	West Bengal, Orissa, Jharkhand, Nagaland, Tripura, Manipur, Meghalaya, Sikkim and Arunachal Pradesh
7	Development Commissioner, Vishakapatnam Special Economic Zone	Andhra Pradesh, Chattisgarh and Yanam

[F. No. C. 2/3/2008-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 54 (E), dated the 10th February, 2006 and subsequently amended vide notifications as under :-

Sl. No.	G.S.R	Dated
1.	470 (E)	10th August, 2006
2.	393 (E)	16th March, 2007
3.	1744 (E)	12th October, 2007
4.	2661 (E)	14th November, 2008
5.	72 (E)	3rd February, 2009
6.	1293 (E)	20th May, 2009
7.	562 (E)	3rd August, 2009

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.